भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 258

बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर प्रणाली की संस्थापना</u>

258. श्रीमती कमलेश जांगड़े:

श्री मुकेश राजपूतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) की वर्तमान स्थिति तथा इसके अंतर्गत की गई प्रगति और निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/स्थान-वार और वर्ष-वार कितनी रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियां संस्थापित की गई हैं;

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहे राज्यों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली संबंधी राजसहायता के लाभ समान रूप से प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत उत्पादित विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा की बढ़ती मात्रा के प्रबंधन के लिए ग्रिड अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ऊर्जा सम्मिश्रण में संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा कितना है; और

(च) देश भर में स्वच्छ विद्युत उत्पादन की गति को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए क्या नीतिगत पहलें की जा रही हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

'प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर प्रणाली की संस्थापना' के संबंध में श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्री मुकेश राजपूत द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय फरवरी, 2024 से देश भर में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है।

यह योजना मांग आधारित है, जिसके तहत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 58,01,654 आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा रूफटाप सौर स्थापनाओं से कुल 16,50,969 घर लाभान्वित हुए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने इस योजना के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापनाओं की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- पंजीकरण से लेकर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर + 50 बीपीएस यानी वर्तमान में 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्षों की अवधि के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण (कोलेट्रल - फ्री लोन) की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक स्वचालित भार (ऑटो लोड) वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- रेस्को/यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण मॉडल को शामिल किया गया
- पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।
- शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

(ग) रेस्को/यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण (यूएलए) मॉडल को पीएमएसजी: एमबीवाई में शामिल किया गया है, जिससे डिस्कॉम/राज्य सरकारें ग्रामीण, दूर-दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना करने में सहायता दे सकेंगे।

साथ ही, पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, केंद्रीय वित्तीय सहायता 10% अधिक है।

(घ) पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत, रूफटॉप सौर संयंत्र आवासीय उपभोक्ताओं के अंतिम उपभोग हेतु स्थापित किए जाते हैं, और इसलिए सामान्यतः ग्रिड अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं होती।

(ङ) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में संचयी स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावॉट थी, जिसकी 475.21 गीगावॉट की कुल स्थापित बिजली क्षमता में 46.32% हिस्सेदारी थी। तथापि, दिनांक 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, भारत ने अपनी संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता से पांच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट है; जिसमें से गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता 242.78 गीगावाट अर्थात् 50% से अधिक है।

(च) भारत सरकार ने देश में स्वच्छ विद्युत उत्पादन की गति को बनाए रखने तथा उसमें तेजी लाने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की हैं। सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलें **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं।

अनुलग्नक-I

'प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर प्रणाली की संस्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, रुफटॉप सौर स्थापना योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टल पर किए गए आवेदनों से लाभान्वित होने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा वर्ष-वार विवरण

क्र. सं	अवधि	13.02.2024 से 31.12.2024 तक		01.01.2025 से 31.07.2025 तक	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवेदनों की सं.	लाभान्वित परिवारों की सं.	आवेदनों की सं.	लाभान्वित परिवारों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	360487	8826	1034760	33140
2	अरुणाचल प्रदेश	89	0	32	0
3	असम	278293	4491	94747	24005
4	बिहार	58950	2544	27569	6848
5	छत्तीसगढ	32349	1045	13882	4565
6	गोवा	4278	444	931	543
7	गुजरात	341364	320310	167766	228507
8	हरियाणा	153453	11195	33888	18704
9	हिमाचल प्रदेश	4443	680	4844	3049
10	झारखंड	6287	104	3812	607
11	कर्नाटक	174999	6314	48667	10531
12	केरल	98383	57644	82287	69631
13	मध्य प्रदेश	49266	21860	41675	32205
14	महाराष्ट्र	500503	158803	180953	234736
15	मणिपुर	603	106	592	335
16	मेघालय	1452	15	959	6
17	मिजोरम	569	66	460	355
18	नागालैंड	236	6	342	30
19	ओडिशा	82448	1480	43547	9050
20	पंजाब	10797	3966	8473	4136
21	राजस्थान	209919	22774	82973	42852
22	सिक्किम	47	1	48	9
23	तमिलनाडु	77464	22470	18674	17932
24	तेलंगाना	21101	8694	35600	14521
25	त्रिपुरा	1148	109	5203	535
26	उत्तर प्रदेश	777638	61505	434070	120866
27	उत्तराखंड	31616	11983	40150	27635
28	पश्चिम बंगाल	25824	272	4650	496
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	93	1	222	82
30	चंडीगढ़	1168	353	408	250
31	जम्मू और कश्मीर	10534	559	55182	7986
32	लद्दाख	508	212	599	484
33	लक्षद्वीप	332	154	585	371
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7080	2267	5272	3002
35	पुदुचेरी	1075	519	1177	795
36	डीएनएच और डीडी	164	34	1695	364
	कुल	**33,24,960**	**7,31,806**	**24,76,694**	**9,19,163**

अनुलग्नक-II

'प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर प्रणाली की संस्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

सरकार द्वारा देश भर में स्वच्छ विद्युत उत्पादन की गति को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए की गई प्रमुख नीतिगत पहलें इस प्रकार हैः

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।

- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।

- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।

- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।

- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****